Notes

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986
National Education Policy - 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा तथा उस स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण की दृष्टि से जो प्रमुख सुझाव दिये गये हैं। उसका विवरण निम्न हैं।

1 - शिक्षा में सुधार सम्बन्धी सुझाव :- शिक्षा नीति के सुधार सम्बन्धित निर्णय विवरण इस प्रकार हैं।

1- विषय शिक्षा या अध्यापक केन्द्रित न होकर बालक केन्द्रित होनी चाहिए

2. सामान्य शिक्षा दो की उच्च माध्यमिक शिक्षा के सभी राज्यो मे स्नातक स्तर की उपाधि हेतु त्रिवर्षीय व्यवस्था हो

3. अधिकतर बच्चों को अध्ययन हेतु कई-कई किमी दूर तक जाना पडता था यह दूरी घटाकर एक किमी की परिधि तक सीमित की जाय

4. 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चो का नामांकन अनिवार्य होना चाहिए

5. 6-11 वर्ष के सभी बच्चें के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जो 1990 तक पूरी हो जाय

6. पूर्व प्राथमिक जन्म से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चो की शिक्षा आगनवाड़ी, बालवाड़ी के माध्यम से सन 2000 तक 70% बच्चों को सुविधा अनिवार्य की जाए

Notes

8. उच्च शिक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों तथा खुले विश्वविद्यालयों की सिफारिश की गयी

पाठ्यक्रम सुधार से सम्बन्ध में → पाठ्यक्रम मे सुधार की दृष्टि से इस शिक्षा नीति इस बात पर बल दिया गया

1- बच्चो की पीठ पर लदे बोझ को पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से कम किया जाय

2. दस वर्षीय समान्य शिक्षा के पश्चात +2 स्तर के बालक पाठ्यक्रम मे विषयों के चयन के विषवत् तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम को विशेष रूप से जोड़ा जाय।

संशोधित राष्ट्रीय नीति → 1992 इसके पश्चात ऊपर जो कुछ कहा गया हैं। उसकी समीक्षा हेतु सन 1992 राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया जो यशपाल समिति 1992 के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस समिति का मुख्य सुझाव.

1- पुस्तको के बोझ को विशेषकर छोटे बच्चों की पीठ पर किताबों के बोझ को असम्भव कम किया जाय

2 पुस्तक चरणबद्ध तरीके तैयार की जाय

3. शिक्षा न्यूनतम स्तर अर्जित करने की दृष्टि से नि० बी० कदम उठाया जाय

(i) पाठ्यक्रम निर्माण की क्रिया विकेन्द्रित हो अर्थात् उसमें क्षेत्रीय परिस्थतियों को ध्यान रखा जाय

(ii) पाठ्य पुस्तकों की संरचना मे अधिक से अधिक योग्य लोगो की प्रधानता हो

Notes

जो किसी स्तर विशेष पर विद्यार्थियों की मानसिकता भाषा भाषीय स्तर का अवश्य समझते हों

(iv) ~~मिली जी बीजी~~ मिली ~~पाठ्यक्रम~~ पाठशालाओं को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों को पारदर्शक बनाया जाय।

v कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया जाय

ii कुशल शिक्षकों की दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण में जो जो कमियाँ है उसे दूर किया जाय

iii सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाय।

कोठारी शिक्षा आयोग → 1964-66

प्रशिक्षण बदलते रहना प्रकृति का नियम है। संसार में लोग तभी सुखी रह सकते हैं जब वह प्रकृति के परिवर्तनों के साथ-साथ स्वंम को भी बदलते रहते हैं। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर यदि देखे तो शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता हैं और तदनुसार पाठ्यक्रम भी बदलना चाहिए। प्रचलित पाठ्य क्रमों के दोषों को ध्यान मे रखते हुए कोठारी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं और जो स्वरूप बताया हैं। उसका उल्लेख किया गया है।

1- पूर्व प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 4 तक का पाठ्यक्रम) इस स्तर पर आयोग ने निम्न सुझाव दिया है।

Notes

एक भाषा - मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा

i- एक भाषा - मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा
ii- गणित
iii- वातावरणीय अध्ययन तीसरी और चौथी कक्षा में वातावरणीय अध्ययन पढ़ाने की भी विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की भी अनुशंसा है।
V. सृजनात्मक कार्य
VI कार्य अनुभव एवं समाज सेवा
VII स्वास्थ्य शिक्षा

उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 4 से 7 तक पाठ्यक्रम

1- दो भाषाएं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा
2. हिन्दी अंग्रेजी व गणित विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों विषयों की सामान्य जानकारी कराया जाए

माध्यमिक स्तर (कक्षा 8 से 10 तक का पाठ्यक्रम)
माध्यमिक स्तर पर आयोग ने पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित किया है।
तीन भाषाएँ
1- मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
2 उच्च प्राथमिक स्तर की
अ' हिन्दी भाषा - भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी, अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ली गयी तो हिन्दी

Notes

1. सामाजिक - राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक विविधताएँ

Social Political, Geographical Economic Diversity

विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के कई विभिन्न संरचनाओं या ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि उनके प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करना एक एवं असम्भव कार्य है।

जैसे - भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग का त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। आज के युग में राजनैतिक राजनैतिक दल द्वारा किसी पाठ्यक्रम में नैतिकता एवं मानवता से सम्बन्धित ज्ञान की संरचना का समावेश होता है तो उसे धर्म से जोड़ा जाता है।

विद्यालयी शिक्षा का सामाजिक आधार-

सम्पूर्ण विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप सामाजिक अपेक्षाओं और अभिभावक वर्ग की आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। प्रत्येक अभिभावक बालक को विद्यालय इस लिए भेजता है कि बालक उनकी आकांक्षा के अनुरूप विकास को प्राप्त कर सके। शिक्षा व्यवस्था का दायित्व मात्र समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। समाज को एक नवीन दिशा प्रदान करना भी है।